LL. B3year third sem &LL.B5year 5th sem

विधिशास्त्र

Unit -2

Natural Law-Meaning, various stages of the development of Nature Law

Anicient Concept of Dharma

Analytical Positivism-Kelsen, Bentham, Salmond, andAustin.

प्रकृतिक विधि- सिद्वांत **(Natural Law Theory)**

समाज में व्यक्ति को न्याय दिलाने की दिशा में विधि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है यही कारण है कि सदियों से विधि वेतागड़ विधि की सार्थकता के बारे में अपनी अपनी धारणाएं व्यक्त करते चले आ रहे हैं ।इस संबंध में धारणा की की अभिव्यक्ति हमे प्रकृतिक सिद्धांत में मिलती है,फ्रीडमैन के अनुसार - प्राकृतिक विधि का इतिहास वस्तुतः मानव द्वारा शुद्ध न्याय की खोज तथा इसमें उसकी असफलता की कहानी मात्र है ।राष्ट्र की सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ प्राकृतिक विधि संबंधी धारणा में भी परिवर्तन होते रहे हैं। तथा विचारकों ने सदैव स्वीकार किया है कि प्राकृतिक विधि के नियम वास्तविक सूत्र बंद विधि से कहीं अधिक उत्कृष्ट तथा ग्राह होते हैं।

प्राकृतिक विधि का अर्थ ---- प्राकृतिक विधि में यह धारणा प्रारंभ से ही चली आ रही है कि मानव द्वारा निर्मित विधि स्वयं में पूर्ण नहीं हो सकती अतः प्राकृतिक विधि के आधार पर विद्वानों ने कुछ ऐसे आदर्श नियम बनाने का प्रयास किया जो वास्तविक जीवन में लागू किए जा सके ।प्राकृतिक नियम की धारणा का उदय प्राचीन यूनान से हुआ सोफोकलीज के अनुसार कुछ ऐसे अलिखित कानून भी है जो सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। अरस्तु के पश्चात यूनान में स्टोईक विचारधारा ने जोर पकड़ा इस विचारधारा के समर्थकों के अनुसार कुछ ऐसे नियम होते हैं जो प्रकृति, जीवन और मनुष्य ,सभी के प्रति समान रूप से लागू होते हैं ।उन्होंने इस सर्वव्यापी और सर्वकालिक नियमों को प्राकृतिक विधि की संज्ञा दी उनका विश्वास था कि समस्त विश्व ऐसे ही व्यापक बुनियादी नियमों से बधा हुआ है। स्टोइकस के अनुसार तर्क या विवेक पर आधारित है और इन्हें दैवी नियम भी कहा जा सकता है क्योंकि ईश्वर के ऐसे आदेश है जो मानव पर लागू है ।मानव अपनी बुद्धि के आधार पर ऐसी नियमों का सृजन कर सकता है ।कालांतर में मध्यकालीन तथा आधुनिक विचारकों ने प्राकृतिक विधि के विषय में अपनी अलग अलग व्याख्याये दी।

प्राकृतिक विधि की परिभाषा -- इटेलियन विधिवेत्ता डेल वेचियो के अनुसार प्राकृतिक विधि को कसौटी बांधकर हम प्रमाणातमक विधि का मूल्यांकन और उसकी आंतरिक न्याय प्रयोजन का अनुमान लगा सकते हैं ।वास्तव में यदि प्राकृतिक विधि को उच्च स्तरीय मूल्यों नैतिकता, आदर्श ,न्यायिकत आदि का सम्मिश्रण कहा जाए तो

अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें समानता ,स्वतंत्रता ,स्वाधीनता, सामाजिक न्याय आदि समावेश गर्वित है वस्तुतः यह न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का दिग्दर्शन करता है।

प्राकृतिक विधि सिद्धांत का विकास ---

सुविधा की दृष्टि से प्राकृतिक विधिके विकास का अध्ययन निम्नलिखित काल खंडों में किया जा सकता है---

1.यूनानी काल-- प्राकृतिक विधि सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक की विचारधारा में मिलता है ।हेरा किल्टस ने प्रकृति की तीन प्रमुख लक्षण बताएं जो क्रमशः निम्नानुसार है अंतिम लक्ष्य,अवस्था तथा तर्क या युक्ति

2 स्टोइक कॉल स्टोइक विचारधारा के अनुयायियों में सुकरात का नाम अग्रणी है उन्होंने न्याय के दो प्रकार बताए जिन्हें प्राकृतिक न्याय तथा विधिक न्याय की संज्ञा दी गई सुकरात के अनुसार प्राकृतिक न्याय सभी स्थानों में एक समान होता है परंतु विधिक न्याय मूल रूप में हमेशा एक ही प्रकार का होते हैं हुए भी समय और स्थान के साथ-साथ उसका स्वरूप बदलता रहता है राज्य द्वारा निर्मित विधि का उद्देश्य विधिक न्याय स्थापित करना कानूनों के औचित्यअथवा अनौचित्यका निर्धारण उसकी वुद्धिएवं अंतर्दृष्टि करती है कानूनों के औचित्यका निर्धारण भी मानव की अंतर्दृष्टि करती है अतः केवल ऐसे कानून ही उचित होंगे जो प्राकृतिक के अनुकूल हो तथा जिसका मानव तर्कशक्ति या बुद्धि समर्थन करें ।सारांश यह कि प्राकृतिक विधि एक ऐसी स्वास्तिक विधि है जो सार्वभौमिक तथा अपरिवर्तनशील है तथा जो सभी मनुष्यों के प्रति सभी स्थानों में और सभी समय समान रूप से लागू की जात सकती है सुकरात, प्लेटो ,अरस्तु ,

3. रोमन काल-- रोमन काल रोमन काल में प्राकृतिक विधि सिद्धांत को एक नया रूप दिया गया प्राकृतिक विधि के सहारे ही रोम की न्यायव्यवस्था में दो प्रकार की विधि अपनाई गई जिने नागरिक विधि तथा सार्वजनिक विधि कहा गया नागरिक विधि केवल रोमवासियों के प्रति लागू की जाती थीसार्वजनिक विधि रोमवासियों तथा रोम में निवास करने वाले अन्यविदेशियों के प्रति समान रूप से लागू की जाती थी थी

भारत की प्राचीन हिंदू विद प्रणाली --

4. अंधा युग-- प्राचीन सभ्यता के लोग के पश्चात अंधा युग में भी एंब्रोस सेंट आगस्टीन तथा ग्रेगोरी आदि ईसाई पादरियों ने सामाजिक व्यवस्था में प्राकृतिक विधि की आदर्श को यथावत बनाए रखा परन्तु इन विचार को ने प्राकृतिक के अलावा ईश्वर को प्राकृतिक विधि का मूल स्रोत माना।

5 मध्य युग-- यूरोपियन इतिहास में 12 वीं शताब्दी से लेकर 14 वीं सदी के प्रारंभ का समय मध्य युग का काल कालखंड माना जाता है ।इस युग के प्रवर्तक मे सिसरो,सिनेमा, सेंन्ट थामस एकवीनास का योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने प्राकृतिक विधि को दैवी विधि से पृथक करने का प्रयास किया।

6.पुनर्जागरण काल -- 17 वी शताब्दी के आगमन के साथ सामाजिक आध्यात्मिक तथा राजनीतिक विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए जिसके परिणाम स्वरूप मध्य यूरोप में पुनर्जागरण तथा सुधारों की एक लहर दौड़ गई राज्य की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई मनुष्य के ज्ञान में अपूर्व वृद्धि हुई यहां तक कि वो अपनी बुद्धि को एक विशाल शक्ति

समझने लगा उसकी तर्कशक्ति ने उसमें ज्ञान बिपाशा जागृत कर दी तथा अब वह स्वयं को प्रकृति या ईश्वर का अंश मानकर संतुष्ट रहने तक के लिए तैयार नहीं था मनुष्य की ज्ञान बुद्धि का परिणाम यह हुआ कि उसने स्वयं को धार्मिक बंधनों से मुक्त कर लिया अर्थात चर्च का प्रभुत्व पूर्णता समाप्त हो गया तथा राज्यों को सर्वोच्च शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त हुई व्यवसायिक प्रगति के कारण मनुष्य स्वयं की संपत्ति के प्रति सुरक्षा की भावना प्रबल हुई एक ओर राज्य सर्व शक्तिशाली था दूसरी ओर मनुष्य स्वयं को तथा निजी संपत्तियों की सुरक्षा के प्रति सचेत था इस नवीन सामाजिक जागृति के प्रभाव से प्राकृतिक विधि धारणा अछूती नहीं रह सकी अब ईश्वरी विधि की पारलोंकीक शक्ति के स्थान पर मनुष्य की बुद्धि को प्राकृतिक आधार माना गया है।

7. प्राकृतिक विधि की अवनति का कालखंड(**19**वीं शताब्दी) **---** 19 वी सदी में विश्लेषणात्मक प्रमाण वादी विचारधारा के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण प्राकृतिक विधि सिद्धांत का समयशैनःशनैःह्रास होता गया इसी समय औद्योगिक क्रांति तथा अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक विधि विचारधारा के विरुद्ध वातावरण तैयार हो रहा था जो उसके विरोध का कारण बना आर्थिक औद्योगिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में लागू की गई हस्तक्षेप नीति के अंतर्गत राज्य से अपेक्षित था कि वह लोगों की आर्थिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप करें स्वभाविकत: ही इसके कारण राज्य की संप्रभु शक्ति और सत्ता कम हो रही थी जिसे बनाए रखने हेतु प्राकृतिक विधि की बजाय राज्य द्वारा अपनी संप्रभुता के अंतर्गत निर्मित निश्चय आत्मक विधि की आवश्यकता थी बेंथम और आस्टीन के विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों ने संबल प्रदान किया।

वर्तमान भारतीय विधि प्रणाली में प्राकृतिक विधि की स्थिति वर्तमान भारतीय विधि प्रणाली में भी प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों को अधिकाधिक स्थान दिया गया जो निश्चित ही एक प्रगतिवादी कदम है आज भारत के अनेक कानून जैसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम **1976** ,सिविल अधिकार **1955,** न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम आदि प्राकृतिक विधि के नियमपर ही आधारित है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने बहुत सारे मामलों में प्राकृतिक विधि का हवाला देते हुए निणर्य किया है पहला मिट्ठू लाल बनाम पंजाब राज्य दूसरा पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ ,ओलगा टेलिस बनाम भारत, हुसैनारा खातून व बिहार राज्य ,अशोक कुमार दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, रघुवीर सिंह ग्राम बिहार राज्य दर्शना देवी ग्राम हरियाणा राज्य

****विशलेषणात्मक विचारधारा***

19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अध्यात्म वाद के स्थान पर प्रयोगात्मक प्रवृत्ति प्रबल हो जाने के कारण विधि दर्शन में परिकल्पना की बजाय घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन पर आधारित निष्कर्ष को अधिक महत्व दिया जाने लगा तथाप्राकृतिक जगत पर इस इन की प्रक्रिया के आधार पर परिणामों तक पहुंचने की पद्धति अपनाई गई ।यहीं से

विश्लेषणात्मक विचारधारा का शुभारंभ हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय संगठन के स्थान पर वर्तमान राष्ट्रवादी राज्यों की स्थापना होने लगी।

विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रवर्तक में बेन्थम,आस्टिन सामड केलसन, आदि उल्लेखनीय है विधि के प्रति विश्लेषणात्मक प्रमाण वादी दृष्टिकोण अपनाने वाले विधिशास्त्री के अनुसार विधि (कानून) की निम्नलिखित 5 लक्षण है

।1 विधि मानव द्वारा निर्मित आदेश है।

2.विधि और नैतिकता एक दूसरे से पूर्णत:भिन्न है। इसका आशय यह है कि विधि 'जैसी कि वह है 'तथा' जैसी कि वह होनी चाहिए' के बीच में अंतर है। प्रमाण वादियो ने' जैसी कि वह है'(अर्थात वास्तविक विधि)को ही अपने अध्ययन का केंद्र बिन्दु बनाया है।

3.प्रमाण वादियो ने विधिक सिद्धांतों का परीक्षण तथा अर्थानवयन किया जाना आवश्यक समझा परंतु उनका विचार था कि ऐसा करते समय इन सिद्धांतों के ऐतिहासिक उदगम तथा विकास, नैतिक या सामाजिक ध्येयतथा सामाजिक प्रभाव पर विचार करना आवश्यक नहीं है। अर्थात विधि की भूत कालीन स्थिति पर विचार करना प्रवण वादियों का कार्यक्षेत्र नहीं है।

4.उनका मानना था कि किसी देश की विधि व्यवस्था स्वयं में परिपूर्णहोती है तथा तर्क के आधार पर उस विधि के निश्चित अर्थानवयन तथा निर्णय तक पहुंचा जा सकता है।

5. विश्लेषणात्मक विचारकों के अनुसार साक्ष्य ,तर्क और परीक्षण पर आधारित निर्णय नैतिकता पर आधारित निर्णय से कहीं अधिक उत्कृष्ट और प्रभावी होते हैं

* आस्टिनका(1790-1859) *

जान आस्टिन को विश्लेषणात्मक शाखा का प्रवर्तक माना गया है वे चार वर्ष तक लंदन विश्वविद्यालय में विधिशास्त्र की अध्यापक रहे उन की सुप्रसिद्ध कृति दि प्रोविंस आफ जूरिसप्रूडेस डिटरमिनड सन 18 32 में प्रकाशित हुई इस कृति से यह स्पष्ट होता है कि आस्टिन की विचारधारा हाब्स, ब्लैकस्टोन तथा बेंथम आदि पूर्वर्ती विधिशास्त्रयों के विचारों से प्रभावित हुए बिना न रह सकी।

आस्टिनका विधिक सिद्धांत ---ब्रिटेन के वर्तमान राज्य के संदर्भ में विख्यात विधिशास्त्री का नाम अग्रगणय हैजिन्होंने विधि के प्रति विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाकर विधिको व्यावहारिक रूप दिलाया है।आस्टिन के मतानुसार विधि ऐसे नियमों का संकलन है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी अन्य ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की मार्गदर्शन के लिए निर्मित करता है जिस पर उसकी संप्रभुता हो। सुस्पष्ट या निश्चय आत्मक विधि की परिभाषा देते हुए आस्टिन कहते हैं कि यह विधि ऐसे आदेशों का समूह है जो एक संप्रभुता धारी द्वारा किसी स्वतंत्र राजनयिक समाज में प्रजा के व्यवहारों को निर्धारित करने के लिए तैयार किए गए हो।आदेशात्मक सिद्धांत(Imperative Theory)

जॉन ऑस्टिन ने विधि संबंधी जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसे विधि का आदेश आत्मक सिद्धांत कहा जाता है इस सिद्धांत के मुख्य तत्व इस प्रकार है-- 1.संप्रभुता शक्ति - आस्टिनने विधि को संप्रभुता धारी का आदेश कहा है उन्होंने संप्रभुता शक्ति के 2 लक्षण बताएं प्रथम यह कि वह सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए जिस पर किसी अन्य बाय शक्तियों का प्रभुत्व न हो तथा दूसरे यह की समप्रभुशक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसके आदेशों का प्रजा स्वेच्छा से अनुपालन करने की इच्छुक हो।2• समादेश-- आस्टिन ने विधि को संप्रभुता धारी का समादेश माना है उनके मतानुसार समादेश राज्य की उस इच्छा की अभिव्यक्ति है जो प्रजा से किसी कार्य को करने की आकांक्षा करें। इस इच्छा की अभिव्यक्ति प्रार्थना के रूप में नहीं होती। 3• शास्ति आस्टिनने अपने आदेशात्मक विधि सिद्धांत में स्पष्ट किया कि संप्रभुता धारी आदेश मात्र ही कानून का रूप धारण नहीं कर लेता जब तक कि उसके पीछे कोई शास्ति नहो ।आस्टिन के अनुसार संप्रभुता की तीन विशेषताएं हैं अविभाज्यता असीमित तथा अपरिहार्यता आस्टिन के अनुसार निश्चय आत्मक विधि में संप्रभुता आदेश कर्तव्य तथा शास्त्र का होना आवश्यक है आस्टिन ने विधियों के दो प्रकार बताएं- दैवी विधियाँ ,मानवीय विधि भी दो प्रकार की होती है निश्चय आत्मक विधि और ऐसी विधि जो बस्तुत: विधि नहीं है क्योंकि उसका मूलाधार संप्रभुता धारी का आदेश नहो कर असंख्य व्यक्तियों की राय है

जेरेमी बेंथम -- आस्टिनकी भांति बेथम भी प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के आलोचक थे उन्होंने तात्विक तथा ऐतिहासिक विधिशास्त्र की आलोचना करते हुए अपने विधि संबंधी विचारों को उपयोगितावाद पर आधारित किया यद्यपि बेंथम ने आस्टिनके इस विचार से सहमति व्यक्त की कि विधि राज्य की देन है परंतु विधिकी वैधता के विषय में उनकी धारणा आस्टिनसे पूर्णता भिन्न थी बेंथम के विचार से विधि की जांच एवं उच्चतर सिद्धांत के आधार पर की जानी चाहिए यह उच्चतर सिद्धांत विधि की उपयोगिता। अतः बेंथम की उपयोगिता वादी विचारधारा उन्हें आस्टिनसे पृथक कर देती है ।

सर जॉन सावंड --- सामण्ड ने आस्टिन की विधि संबंधी विश्लेषण के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया कि कानून राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त तथा लागू किए जाने वाले सिद्धांतों का ऐसा संकलन है जिसका प्रयोग न्याय प्रशासन के लिए किया जाता है सामण्ड का आशय यह है कि कानून में वे सभी नियम समाविष्ट है जिनको न्यायालयी निणर्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है तथा जिसके अनुसार न्यायालय न्याय प्रशासन का कार्य करते हैं सामण्ड के मतानुसार आस्टिनकी आध्यात्मिक सिद्धांत के अंतर्गत विधि का वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है इसलिए उनका कहना है विधि न तो केवल अधिकार है और न केवल शक्ति है बल्कि दोनों का उचित समन्वय है वह राज्य की आवाज में मनुष्य द्वारा की गई न्याय की पुकार है ।

विधिशास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थकों में कैल्सन का नाम उल्लेखनीय है केलसन ने अपने विद सिद्धांत द्वारा विश्लेषणात्मक प्रमाण बाद की विवेचना नए ढंग से की तथा इसे मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित किया केलसन तथा उनके समर्थकों को सामूहिक रूप में विधिशास्त्र कि बिना शाखा के नाम से संबोधित किया जाता है

केलसन की विधि के विशुद्ध सिद्धांत के मूलभूत तत्व

1 केलसन के सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक विधि अर्थात विद जैसी कि वह का वर्णन होना चाहिए न कि आदर्श आत्मक विधि अर्थात जैसी कि वह होनी चाहिए का

2. केल्सन के अनुसार " विधि के सिद्धांत "और

"विधि "में अंतर है ।यद्यपि विश्व की प्राकृतिक वस्तुओं में कोई भी तार्किकता नहीं है परंतु ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत जो इन वस्तुओं का वर्णन करता है ,तार्किक होता है ।ठीक इसी प्रकार यद्यपि विधि के अंतर्गत विभिन्न परस्पर विरोधी नियमों का वर्णन रहता है फिर भी विधि के सिद्धांत का कार्य यह होता है कि वह उन सभी विरोधाभासी नियमों में तार्किक दृष्टि से तालमेल बैठाए और संयमित रूप से उनका एकीकरण करें ।

3. विधि का सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जो सभी समय तथा स्थानों में समान रूप से लागू किया जा सके

4 विधि का सिद्धांत विशुद्ध होना चाहिए अर्थात उसे नीतिशास्त्र राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र इतिहास आदि से अप्रभावित रखा जाना चाहिए

5 केल्सन विधिशास्त्र को एक सिद्धांत मूलक विज्ञान माना है न कि प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित विधियां कारण और परिणामों के तालमेल का कथन मात्र होती है उदाहरण यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2और 1 के अनुपात में मिला दिया जाए तो पानी बन जाएगा इस नियम का उल्लंघन हो ही नहीं सकता और यदि उल्लख होता है तो यह नियम व्यर्थ हो जाएगा परंतु विधिशास्त्र में विधियों का संबंध कार्य कारण पर आधारित नहीं होता बल्कि सिद्धांत मुलक होता है ।उदाहरण यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसे फांसी का दंड दिया जाना चाहिए ऐसी विधियाँ उसी स्थिति में भी विद्यमान रहती है जबकि उनका उल्लंघन कर दिया जाता है और जो परिणाम निर्दिष्ट है ,वह नहीं निकलते।

विधि का विशुद्ध सिद्वांत--- केल्सन के विशुद्ध विधि सिद्धार्थ का केंद्र बिंदु मानकों की व्युत्पत्ति है उन्होंने विधिक क्रम को मांगों का स्तूप माना है मानकों को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया को केलसन ने राज्य का विधिक क्रम कहा है ।केल्सन के अनुसार सभी मानक मूल मानक से अपनी वैधता प्राप्त करते हैं परंतु मूल मानक अपनी स्वयं की वैधता किसी अन्य उच्चतर मानक से प्राप्त नहीं करता केल्सन के अनुसार सभी विधिक व्यवस्थाओं में कोई न कोई मूल अवश्य रहता है सभी विधि व्यवस्थाओं में मूल मानक एक हीं प्रकार का नहीं होता है भारत और इंग्लैंड की विधि व्यवस्था में संसद ,अमेरिका की विधि व्यवस्थाओं में संविधान तथा हिटलर काली जर्मनी की विधि व्यवस्था मे तानाशाह की इच्छा मूलमानक थी ।

केल्सन के विधि के विशुद्ध सिद्धांत का महत्व -- केलसन के सिद्धार्थ ने विश्लेषणात्मक पद्धति के कारण विधि पर छाए हुए कोहरे को हटा दिया । 2.इस सिद्धांत के अनुसार राज्य और विधि के बीच कोई द्वैधता नहीं है। 3. केल्सन नेअंतरराष्ट्रीय कानूनों को राज्य की विधि से श्रेष्ठ माना है । 4• केल्सन के अनुसार व्यक्तित्व विधिक मानकों की

संक्रिया की इकाई है तथा अधिकार और कर्तव्य उसके पूरक है 5केलसन की विशुद्ध विधि सिद्धांत के अनुसार प्राइवेट विधि और लोक विधि में कोई विभाजन नहीं हो सकता जबकि आस्टिनके अनुसार हो सकता है।